भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3194

19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज की चोरी

3194. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की है कि आपूर्ति किया गया सारा अनाज लाभार्थियों तक पहुंचे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार खाद्य राजसहायता के वितरण में बेहतर दक्षता और जवाबदेही के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की ओर अपनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता, दक्षता में सुधार लाने और चोरी को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटलीकृत (100%) कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किया गया है। इसके साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया गया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर की दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस लगाकर स्वचालित किया गया है।

...2/-

(ख): खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत दिनांक 21.08.2015 को अधिसूचित खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पात्र परिवारों के बैंक खातों में सीधे खाद्य सब्सिडी प्रदान करता है ताकि वे खुले बाजार से अपनी पात्रता की मात्रा में खाद्यान्न खरीद सकें। इस योजना को चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, बशर्ते इसके कार्यान्वयन की तैयारी के संबंध में कुछ शर्तें पूरी हों, जैसे लाभार्थी डेटाबेस का पूर्ण डिजिटलीकरण और डी-डुप्लीकेशन, डिजिटाइज्ड लाभार्थी डेटाबेस में बैंक खाते के विवरण को जोड़ना और खुले बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता। चिन्हित क्षेत्र को नियमों के तहत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की लिखित सहमति है। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए खाद्य सब्सिडी योजना के नकद अंतरण को लागू करना या उचित दर की दुकानों के माध्यम से एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण जारी रखना वैकल्पिक है। वर्तमान में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) (नकद अंतरण) तीन संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और पुडुचेरी में लागू किया जा रहा है।

*****